राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (309) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/अभि./आंगनबाडी मरम्मत सुदृढीकरण/2015–16 जयपुर, दि. 9.02.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषयः– राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्र भवनों की मरम्मत व सुदृढीकरण कार्य पूर्ण कराने एवं प्रगति के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– समसंख्यक पत्र दिनांक 24.11.2016 एवं 14.12.2016।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्र भवनों के मरम्मत व सुदृढीकरण के कार्य हेतु संयुक्त शासन सचिव, समेकित बाल दिवस सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 28.10.2016 के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) निजि निक्षेप खातों में हस्तानान्तरित करते हुये निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात 3 माह में पूर्ण कराने एवं प्रगति से प्रत्येक माह की 7 तारीक तक विभाग को अवगत कराने हेतु प्रासांगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। परन्तु अधिकांश जिलों से प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मात्र 4 जिलें–अजमेर, धौलपुर, झून्झूनु व चित्तौडगढ़ से आंशिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन जिलों में निर्माण कार्य अभी भी अप्रारम्भ है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य/अधिकांश जिलों द्वारा वांछित स्वीकृतियां ही जारी नहीं की है।

इस सम्बन्ध यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य माननीय मुख्य मंत्री, महेदया की वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि –

1 मरम्मत एवं सुदृढीकरण कार्य के सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य 3 माह में पूर्ण करवाया जावें।
2 निर्माण कार्य की मासिक प्रगति एवं व्यय विवरण संलग्न प्रपत्र में प्रतिमाह 7 तारीख तक निदेशालय, आईसीडीएस, जयपुर एवं इस विभाग को ई–मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर भिजवाया जावें।
3 प्रथम किस्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र आईसीडीएस को प्रस्तुत कर द्वितीय किस्त की राशि जारी प्राप्त की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

9/2/17

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पराविं।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाये, 2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर।
5. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
8. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
10. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

परिशिष्ट–1

जिले का नामः		————————						माहः	————————										
मरम्मत योग्य स्वीकृत केन्द्रों की कुल संख्या	सुदृढीकरण के तहत एक मेसनरी अलमारी निर्माण हेतु स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	मरम्मत योग्य आंगनबाडी केन्द्र पर निर्माण कार्य							सुदृढीकरण के तहत मेसनरी अलमारी निर्माण कार्य							व्यय राशि का विवरण			विशेष विवरण
		जारी तकनिकी स्वीकृति	जारी वित्तीय स्वीकृति	कार्य प्रारम्भ	कार्य पूर्ण	प्रगतिरत	अपूर्ण	अप्रारम्भ	जारी तकनिकी स्वीकृति	जारी वित्तीय स्वीकृति	कार्य प्रारम्भ	कार्य पूर्ण	प्रगतिरत	अपूर्ण	अप्रारम्भ	मरम्मत कार्य पर व्यय राशि	मेसनरी अलमारी निर्माण पर व्यय राशि	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

परियोजना अधिकारी

नोटः– मासिक प्रगति सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक ई–मेल से pdengg_rdd@yahoo.com पर भिजवावें।